

Recd.
by
ब्यक्ति

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गोरखपुर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
गोरखपुर।

पत्रांक:

/स0क0/शिक्षा-अ/छात्रवृत्ति/2017-18/दिनांक 01.07.17

विषय:-

तहसील द्वारा जारी जाति, आय-प्रमाण पत्र जारी तिथि से मान्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0-1033 दिनांक 24.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुल सचिव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0-535/कुसका0/2017, दिनांक 23.06.2017 द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नाकोत्तर में प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों से जाति प्रमाण-पत्र एवं आय-प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी किये जाने पर कितने समय (अवधि) तक मान्य है के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जाति प्रमाण-पत्र एवं आय-प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी किये जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र में तिथि एवं समय की बाध्यता नहीं है। आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिये मान्य है।

भवदीय

(सप्तर्षि कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गोरखपुर।

पृष्ठांक: 1209-10

/तददिनांकित।

प्रतिलिपि- कुल सचिव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 535/कुसका0/2017, दिनांक 23.06.2017 द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गोरखपुर को प्रेषित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

30/6/2017

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गोरखपुर।